न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 386/2018

अपीलांट — बनाम — रेस्पोडेन्ट

1. भोमाराम पुत्र भैराराम
2/1 लूणाराम पुत्र स्व0 डालूराम
(जाति जाट, निवासी ग्राम मोरनावडा तह0 बावडी, जिला जोधपुर)

1. लिछमणराम पुत्र हेमाराम
2. मगाराम पुत्र हेमाराम
3. किसनाराम पुत्र हेमाराम
4. मुलाराम पुत्र हेमाराम
(सभी जाति जाट, निवासी ग्राम मोरनावडा, तह0 बावडी, जोधपुर)
5. तहसीलदार बावडी, जिला जोधपुर

प्रफोर्मा रेस्पाडेन्टस–

6. हवली पुत्री स्व0 डालूराम जाट निवासी ग्राम डांवरा (जोधपुर)
7. सीता पुत्री स्व0 डालूराम जाट निवासी ग्राम राईकोरिया (जोधपुर)
8. मोहनी पुत्री स्व0 डालूराम जाट निवासी ग्राम घवडा, (जोधपुर)
छकामी पुत्री स्व0 डालूराम जाट निवासी ग्राम कुरछी (जोधपुर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बावडी आदेश कमांक 1005 दिनांक 27.6.18

उपस्थिति –
1. श्री कानाराम गोदारा वकील अपीलांट
2. रेस्पो0 सं0 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5 की ओर से

निर्णय

दिनांक 27/05/2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बावडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 के द्वारा तहसीलदार बावडी के पत्र कमांक 479 दिनांक 25.6.18 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम मोरनावडा के खसरा नं0 91/6, 91/2/1, 96 की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही 1.17 बीघा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

के खातेदारी व कब्जाकाश्त खसरा नम्बर 91/6 में से 0.03 विस्वा एवं 91/2/1 में से 0.12 विस्वा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि विधान संचिका अभिलेख न्याय एवं कानून के विपरित तथा जल्दबाजी में मनमाना पारित किया गया हैं। जिसमें अपीलांट्स को पक्षकार नही बनाया गया व नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलांट्स के खसरान में रास्ता चालू नही है। प्रत्यर्थी सं0 5–तहसीलदार द्वारा बिना मौके की जांच किए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व इसकी आड में रेस्पो0सं0 5 द्वारा अपीलंट्स की खातेदारी भूमि में गै0मु0 रास्ता रेकॉर्ड में दर्ज करने को आमदा है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संलग्न खसरावार स्थायी रूप से चालू सार्वजनिक रास्ते की भूमि के विवरण में ख0नं0 91/6 में से 0.03 विस्वा एवं 91/2/1 में 0.12 विस्वा भूमि उल्लेखित व नजरी नक्शे में प्रस्तावित है। अपीलाधीन आदेश की मौके एवं राजस्व रेकर्ड में पालना हो चुकी है। अतः अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। चूंकि प्रकरण में अपीलाधीन आदेश की मौके एवं राजस्व रेकर्ड में पालना हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक 1005 दिनांक 27.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

27/05/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर